(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1585–एक/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2015 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 581 अ–6–अ/2013–14 अपील

किशन सिंह पुत्र जमना प्रसाद
निवासी धर्म अम्वेडकर वार्ड
सागर तहसील व जिला सागर ––– आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती अशोक रानी पत्नि रूपचंद पटैल
निवासी धर्म अम्वेडकर वार्ड
सागर तहसील व जिला सागर
2– हरीश पुत्र रामचरण सोनी
पुर्वियाउ टौरी सागर तहसील व जिला सागर ––अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पटैरिया अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से श्री नितेन्द्र सिंघई अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 10 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 581 अ–6–अ/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने तहसीलदार सागर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके व्दारा मौजा धर्मश्री स्थित भूमि सर्वे नंबर 171/2 रकबा 0.25 है.(आगे जिसे वादोक्त भूमि

अंकित किया गया है) पंजीकृत विकय पत्र से कय की है किन्तु चालू नक्शा शीट में खसरा नंबर बदल गया है एंव 171 के स्थान पर 170 दर्ज हो गया है इसलिये रिकार्ड दुरूस्त किया जाय। तहसीलदार सागर ने प्रकरण कमांक 43 अ-6-अ/ 2007-08 पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 23-7-12 पारित करके अनावेदक कमांक-1 का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 312/अ-6-अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 24-6-14 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 581 अ-6-अ/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2015 अपील स्वीकार करते हुये नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार से स्थिति के मान से त्रृटिपूर्ण नक्शे में सुधार का आवेदन दिया था। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 में तहसीलदार तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत हैं। प्रकरण में विचार योग्य है कि जब अनावेदक कमांक-1 ने पंजीकृत विकय पत्र से वर्ष 1984 में वादोक्त भूमि कय की है एंव विकय पत्र के अनुसार वादोक्त भूमि का खसरा नंबर 171 है जिसका विकय पत्र के वाद नया खसरा नंबर 171/2 बना है एंव अनावेदक कमांक-1 के नाम पर अंकित है जिस पर उसका मकान बना है एंव रहवास है तथा

विक्रेता ने उसे खसरा नंबर 171 का भू भाग विक्रय करके मौके पर चतुर्सीमा दर्शाकर कब्जा सर्वे नंबर 170 पर दिया गया है और कब्जा प्राप्ति उपरांत इस सर्वे नंबर पर अनावेदक व्दारा मकान बना लिया है एंव उसका रहवास है तथा विक्रेता का विक्रय पत्र वापिसी का दावा सिविल कोर्ट से निर्णीत होकर आदेश दिनांक 4-3-15 से मामला अनावेदक कमांक-1 के हित में निर्णीत हुआ है तब मात्र रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही न करना अनावेदक कमांक-1 केता के हितों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 581 अ-6-अ/2013-14 अपील में भलीभॉति विवेचना कर आदेश दिनांक 11-5-2015 पारित करते हुये निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है और इन्हीं कारणों से आवेदक को निगरानी प्रकरण में किसी प्रकार की सहायता दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 581 अ-6-अ/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर